


05.02.25

पत्रावली वेश हुई। वादी द्वारा निवेदन किया गया। वादी का प्रतिवादीपत्र के साथ राजीनामा दे चुका है अतः दावा को को नही चलाया जाये। अतः वादी का यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरन्त बकसील होकर आगिल स्तर है।

निर्णय लिखा गया जकार बुले न्यायालय में पुनर्मा गया।



(दीपक चन्दन)
R.A.S.

राजीनामा हाथुका
है इसकी दावा
अतः नही चलाया
जाये
सुब्रह्मण्य
S. by me

(कलकत्ता सिविल एस)